कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 741 /FP/UK/WATER/124331/2021 :देहरादून:दिनांक: 16 सितम्बर, 2021

सेवा में,

सचिव (प्रभारी),
वन अनुभाग–03,
उत्तराखण्ड, शासन।

विषयः जनपद देहरादून के विकास खण्ड, डोईवाला के गुमानीवाला क्षेत्र के विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगर (पेरी अरबन) पेयजल योजना, गुमानीवाला के निर्माण हेतु 0.25 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऋषिकेश को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संदर्भः–उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–678/X-3-21/2(16)/2021 दिनांक 13–07–2021.

महोदय,

वन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन आख्या प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून की पत्र संख्या–808/12–1 दिनांक 02–09–2021 **(संलग्न–01)** एवं वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून का पत्रांक 697/12–1(2) दिनांक 06–09–2021 **(संलग्न–02)** के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क्र. सं.	शर्तों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वांछित धनराशि रू0 82460.00 (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) वन विभाग के पक्ष में RTGS **(संलग्न)** के माध्यम से जमा कर दी गयी है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 05.02.2009 के तहत दिये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र दिनाँक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू0 182500.00 RTGS के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
3	प्रयोक्ताा अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में सूचित करना है कि भविष्य में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0 की दरों में यदि बढ़ोतरी होती है और सक्षम/उच्च स्तर से एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई दरों पर धनराशि की माँग सृजित की जाती है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि वन विभाग के पक्ष मे जमा कर दी जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	उक्त शर्त के अनुपालन एवं भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कोर्पोरेशन बैंक, (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स फेस–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 के पक्ष में जमा कर दी गई है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा, सुझावों का अनुपालन किये जाने सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/ प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ हार्ड कॉपियों में व ऑनलाईन अपलोड करते हुए पूर्व में ही आपके विभाग में उच्च–स्तर को प्रेषित है **(छायाप्रतियाँ संलग्न)**।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से सीमा से नीचे ना गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावयक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्ताण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा से पूरा किया

		जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
10	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	उक्त शर्त स्वीकार्य है।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : / **FP/UK/WATER/124331/2021** तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पोड़ी।
2. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
4. अधिशासी अधिकारी, (एफ.आई.यू.), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।